[illegible] किया गया पत्रावली
वास्ते जवाब आदेश 22(9) 151 CPC के
दिनांक 19/5/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

19/5/25 पत्रावली पेश हो। वादी वकील उपस्थित है। प्रतिवादी वकील का प्रतिनिधि उपस्थित है। वादी वकील द्वारा आज आदेश 22(9) 151 CPC का जवाब पेश नहीं किया गया बल्कि में पर्याप्त समय व अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। न्याय हित में एक बार अंतिम अन्तिम से अन्तिम अवसर दिया जाकर उक्त दिनांक आदेश रूप से जवाब पेश करने हेतु दिनांक तय की गई पत्रावली वास्ते जवाब आदेश 22(9) 151 CPC के दिनांक 3/6/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

3/6/25 पत्रावली पेश हो। वादी वकील उपस्थित है। प्रतिवादी वकील उपस्थित है। वादी वकील के द्वारा प्रकरण में Not press करते हुये निवेदन किया है मुझे इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करानी है। प्रकरण को खारिज फरमाया जावे। वादी वकील के द्वारा दिये गये निवेदन एवं Not press के आधार पर वाद में आगामी कार्यवाही स्टोप करते हुये प्रकरण इसी आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बेबाक सुमार होकर नस्तर के योग्य हो।

Not pre
F.3

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर